न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 77 / 2021

बलराम पुत्र रामजीलाल ग्राम व पोस्ट कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार पहाडी ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 18.10.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि बलराम पुत्र रामजीलाल ग्राम व पोस्ट कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2021 तहसीलदार, पहाडी से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, पहाडी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 605 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा तहसीलदार, पहाडी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, पहाडी से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई छह बिन्दुओं की सूचना तहसीलदार, पहाडी ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, पहाडी से उक्त बिन्दुओं की सूचना दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, पहाडी से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है, जो गम्भीर बात है। तहसीलदार, पहाडी से जबाव प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, पहाडी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार, पहाडी को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर